अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

क्रमांक : अविप्रा./भ.मा.स./ प.34/2023/ योजना/ 3300-3303 दिनांकः 25-4-2023

1. श्री प्रदीप साधवानी पुत्र श्री किशनचन्द साधवानी 2. श्री रवि मुरजानी पुत्र श्री पुरूषोतम मुरजानी
3. श्री धर्मू वासनानी पुत्र श्री हरूमल वासनानी 4. सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चौधरी
5. श्री प्रकाश रामचन्दानी पुत्र श्री दामोदर रामचन्दानी 6. श्री नीरज पारवानी पुत्र श्री धर्मेन्द्र पारवानी
निवासी– 19, रेल्वे मुख्य कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर।

विषय :– प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के भूखण्ड संख्या III PART-B (corner) क्षेत्रफल 2517.57 वर्गमीटर के व्यवसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति।

संदर्भ :– भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 के प्रस्ताव सं 2 के निर्णय के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित के क्रम में आप द्वारा भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन के तहत व्यवसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत् प्रस्तुत किये गये है। भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 के प्रस्ताव सं. 02 में लिये गए निर्णय की अनुपालना में निम्नाकित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जा रहे है:–

1. उक्त स्वीकृति भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन के तहत जारी की गई है।
2. लीज डीड की सभी शर्ते लागू होगी।
3. जिस प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है, उसी प्रयोजनार्थ भवन निर्माण करवाया जावेगा, अन्यथा निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
4. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :–

क्र.सं.	मापदण्ड	भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु समिति द्वारा अनुमोदित
(I)	सैट बैक्स (न्यूनतम)	
	अग्र	**12.19 मी.**
	साईड प्रथम	**9.0 मी.**
	साईड द्वितीय	**9.0 मी.**
	पीछे	**9.0 मी.**
(II)	ऊँचाई	**36.0 मी. (राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.11.2020 के अनुसार वर्तमान में 32 मीटर ऊंचाई तक ही निर्माण किया जा सकता है)**
(III)	मंजिल	**2 बेसमेन्ट + लोअर–ग्राउण्ड + ग्राउण्ड + 10**
(IV)	बेसमेंट	**2 बेसमेन्ट प्रस्तावित (केवल पार्किंग हेतु)**
(V)	आच्छादन	**36.91% (929.40 व.मी.)**
(VI)	बी.ए.आर	**4.61 (11608.53 व.मी.)**

5. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1 (78)नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 26.11.2020 के बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार "जिन शहरों में निर्धारित ऊंचाई की एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हैं लेकिन क्रयादेश जारी किये जा चुके हैं वहां यदि कोई विकासकर्ता 32 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता है तो निर्धारित मापदण्डों एवं भवन विनियम–2020 की पूर्ति होने पर तथा बैटरमेंट लेवी की राशि जमा कराने के उपरान्त इस शर्त पर मानचित्र अनुमोदन कर दिया जावे कि भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 32 मीटर ऊंचाई तक निर्माण किया जा सकता हैं परन्तु 32 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई का निर्माण संबंधित नगर निकाय में उपलब्ध एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जा सकता है।" उक्त परिपत्र के परिपेक्ष में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार वर्तमान में 32 मीटर की ऊंचाई तक निर्माण किया जा सकता हैं।
6. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 14.10.2022 के अनुसार "ई.वी. चार्जिंग फेसिलिटी हेतु कुल आवश्यक पार्किंग/ई.सी.यू. का न्यूनतम 10

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा.,अजमेर

F:\E\Deepak devnani\B.P. Letter..docx

प्रतिशत ई.वी. चार्जिंग फेसिलिटी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक होगा" उक्तानुसार मानचित्र में अंकित ई.वी. चार्जिंग फेसिलिटी का प्रावधान नियमानुसार किया जाना आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

7. भवन मानचित्रो अनुसार आरक्षित खुला क्षेत्र/लैण्डस्केप क्षेत्र यथावत रखा जाना होगा एवं इस आरक्षित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8. भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन की धारा 10.3.2 (ix) के अनुसार 30 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनो में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात अधिकतम 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायो से संबंधित समस्त दस्तावेजो मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रो को राजकीय स्तर के संस्थानो यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यायल/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम 19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन की धारा 10.3.2 (x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रो के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबन्धित किये गये काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इन्जीनियर से ही प्रमाणित किये हुए हो, कार्यालय में निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करने होगे।
10. आप द्वारा भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मोके पर लगाया जावेगा। जिसमे सम्बन्धित आयुक्त/उपायुक्त संबधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होगें, अनुमोदित मानचित्र की सूचना एवं अनुमादन की शर्तो के साथ वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मोके पर रखी जावेगी।
11. आप द्वारा भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 15.3 (iii) के अनुसार आपका प्रस्तावित भवन 18 मीटर से अधिक ऊंचाई का है, जो कि अधिक जोखिम **(High Risk Building)** के अन्तर्गत आता है। अतः आप द्वारा प्लिन्थ लेवल तक निर्माण पूर्ण होने की सूचना आवश्यक रूप से सम्बन्धित उपायुक्त जोन (उत्तर) को दी जानी होगी। यदि प्लिन्थ का निर्माण भवन विनियमों एवं स्वीकृत भवन मानचित्रों के विपरीत किया जाना पाया जाता है तो संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्माण कार्य बन्द करवाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टो में यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
13. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974 एवं वायु संरक्षण अधिनियम 1981, के प्रावधानों की नियमानुसार अनुपालना करनी होगी। भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 8.11 के अनुसार एवं 10.12.1 में उल्लेखित पर्यावरणीय शर्तो का पालन किया जाना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. अग्नि शमन एवं भूकम्परोधी भवन निर्माण के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर भवन में मौके पर सुनिश्चित करने होंगे एवं पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के साथ अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी होगी।
15. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नम्बर एवं लैण्डलाइन नम्बर भी लिये जाकर पुलिस अधीक्षक अजमेर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सके।
16. जल के शुद्धीकरण हेतु रीसाईक्लिंग की व्यवस्था करनी होगी। शुद्धीकृत जल का उपयोग बागवानी तथा फ्लेश के उपयोग में लिया जा सकेगा। शौचालय के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किया जाना होगा तथा परियोजना में से उत्पन्न होने

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा.,अजमेर

वाले सालिड एवं लिक्विड वेस्ट को निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पेरामीटर्स के अनुसार किया जायेगा।

17. भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 10.11.3 के क्रम में प्रत्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम दो वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालता नहीं करने पर 1000/— प्रति वृक्ष की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा।
18. वर्षा के पानी द्वारा भू–गर्भ का जल स्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कानूनन अनिवार्य है।
19. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
20. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् जिन विषयों पर ब्यौरा यहॉ नहीं दिया गया है तथा भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
21. भूखण्ड पर किये जाने वाले निर्माण पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.18 (25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 27.06.2017 के अनुसार नियामानुसार लेबर सेस की राशि विकासकर्ता द्वारा अपने स्तर पर श्रम विभाग में जमा करावाकर पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के समय भुगतान की रसीद प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा।
22. स्वीकृत प्लान के विरूद्ध निर्माण किये जाने एवं भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने पर/ निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नही होने पर निर्माण को रोका जाकर, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत् अवैध निर्माण को अ.वि.प्रा. द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसका समस्त व्यय भू–स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
23. भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 18.4 के क्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये सम्बन्धित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
24. भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 18 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा। अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत् कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वत ही निरस्त समझे जावेगे तथा उक्त स्वीकृति के कारण यदि अजमेर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत् नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा, सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे, जिससे सभी लोगो को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तथा निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र उपलब्ध पार्किग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान का नक्शा भी प्रदर्शित उपयुक्त स्थान पर प्रदर्षित किया जावे। भवन निर्माण के समय सामग्री से आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवाये जावे।
27. भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 15.5 के अनुसार आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा.,अजमेर

28. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 12 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी। अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है उसको केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर अजमेर विकास प्राधिकरण बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड दे सकता है। उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अजमेर विकास प्राधिकरण हर्जा खर्चा वसूलने एवं भू–स्वामी जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। भवन परिसर में ही आगन्तुको की पार्किंग करवाई जावे तथा निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावे।
29. इसके अतिरिक्त अन्य समस्त पेरामीटर्स जो की भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन एवं नेशनल बिल्डिगं कोड ऑफ इण्डिया के है, का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
30. भवन विनियम, 2020 अजमेर रीजन की धारा 17.4 के क्रम में *"रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) अधिनियम, 2016 एव इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों में उल्लेखित भवनों हेतु अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।"*
31. उक्त वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई संबधित शर्तो का पालन नही होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

संलग्नः– भवन मानचित्र का एक सैट (17 शीट)

sd/-

(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अविप्रा./भ.मा.स/प.31/2022/ 3300–3303 **दिनांकः** 25-4-2023

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उपायुक्त(उत्तर), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. कनिष्ठ अभियंता (क्षेत्राधिकार अनुसार), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को मय मानचित्र एक सेट भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करे कि मौके पर निमार्ण स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही किया जाये। मानचित्र का एक सैट (11 शीट)
3. आयोजना प्रकोष्ठ की रक्षित पत्रावली।

(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

F:\E\Deepak devnani\B.P. Letter..docx

SHEET NO. 01

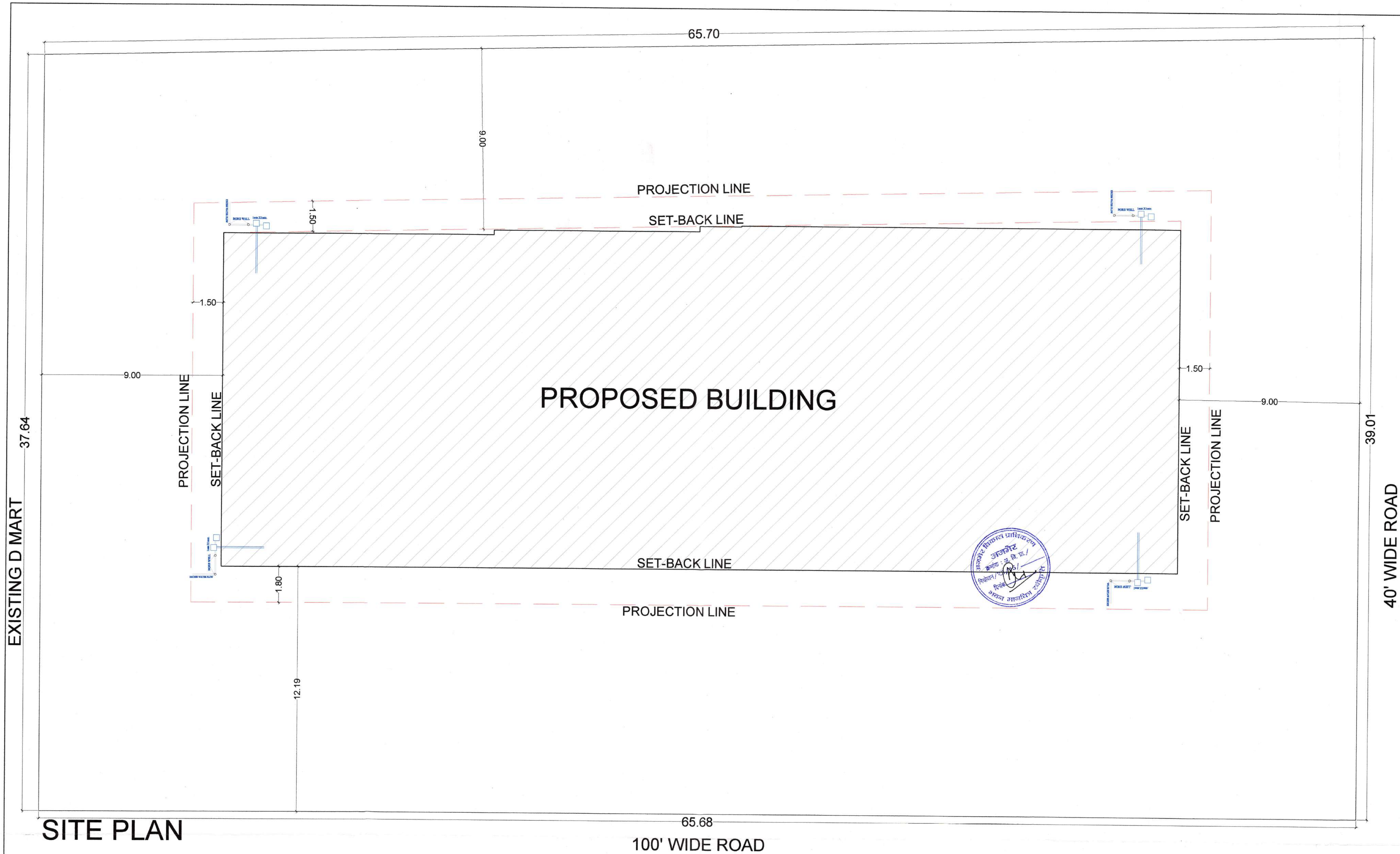

SITE PLAN

TOTAL PLOT AREA	2517.57	SQM
PERMISSIBLE FREE BAR(AS PER BYLAWS)	2 5035.14	SQM
ACHIEVED BAR	11608.53	SQM
BAR FOR BETTERMENTLAVY	6573.39	SQM
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	WITH IN SET-BACK	
PERMISSIBLE HEIGHT	.. MTR.	
ACHIEVE HEIGHT	36.00 MTR.	

BAR CALCULATION

S.NO.	FLOORS	GROSS BU. AREA (IN SQ.MT.) (A)	CUT-OUT & LIFT WELL (IN SQ.MT.) (B)	FIRE STAIR (IN SQ.MT.) (C)	PARKING & PROJECTION(IN SQ.MT.) (D)	RESIDENTIAL AND CLUB AREA BAR AREA SQM. (A-B-C-D-E)	COMMERCIAL BAR AREA SQM (A-B-C-D-E)	TOTAL BAR (IN SQ.MT.) (G=A-B-E-F)
1	BASEMENT FLOOR 2	2023.20	-	-	-	-		0.00
2	BASEMENT FLOOR 1	2023.20	-	-	-	-		0.00
3	LOWER GROUND FLOOR	1905.16	14.15	-	1056.79	-	834.21	834.21
4	GROUND FLOOR	1051.32	14.15	35.79	207.27	86.71	707.41	794.11
5	FIRST FLOOR	1051.32	14.15	35.79	-	-	1001.38	1001.38
6	SECOND FLOOR	1051.32	14.15	35.79	-	-	1001.38	1001.38
7	THIRD FLOOR	1051.32	14.15	35.79	-	-	1001.38	1001.38
8	FOURTH FLOOR	1024.45	8.61	35.79	-	980.05		980.05
9	FIFTH FLOOR	1024.45	37.73	35.79	-	950.93		950.93
10	SIXTH FLOOR	1024.45	8.61	35.79	-	980.05		980.05
11	SEVENTH FLOOR	1024.45	37.73	35.79	-	950.93		950.93
12	EIGHTH FLOOR	1024.45	8.61	35.79	-	980.05		980.05
13	NINTH FLOOR	1024.45	37.73	35.79		950.93		950.93
14	TENTH FLOOR	1024.45	37.73	35.79		950.93		950.93
14	TERRACE FLOOR POOL+O.H.W.T.+ROOF TOP TEMPORARY STRUCTURE	381.07						232.18
15	TOTAL	17709.04	247.52	393.64		6830.60	4545.75	11608.53

Sr.no.	PARKING REQUIRMENTS			
1	COMMERCIAL BAR			4545.75
2	REQUIRED COMMERCIAL ECU	75 PER Sqm		60.61
3	VISITOR		25%	15.15
4	TOTAL ECU			75.76
5	REQUIRED CARS		75%	56.82
7	REQUIRED TWO WHEELERS ECU		25%	18.94
8	1ECU=3 TWO WHEELERS			57
9	PARKING REQUIRMENTS			
10	RESIDENTIAL BAR			6830.60
11	REQUIRED RESIDENTIAL ECU	115 PER Sqm		59.4
12	VISITOR		10%	5.94
13	TOTAL ECU			65.34
14	REQUIRED CARS		75%	49.00
15	SAY			49
16	REQUIRED TWO WHEELERS ECU		25%	16.33
17	SAY			16
18	1ECU=3 TWO WHEELERS			49
19	TOTAL REQUIRED ECU(4+14)			141
20	SAY			141
	TOTAL CAR PARKING REQUIRED			105.82
	SAY			106
	TOTAL TWO WHEELERS REQUIRED			106

1	RESTAURANT BAR			232.18
2	RESTAURANT TOTAL SEAT			24
3	REQUIRED RESTAURANT ECU	4 PERSON PER 1 ECU.		6.0
4	TOTAL ECU			6.00
5	REQUIRED CARS		75%	4.50
6	SAY			5
7	REQUIRED TWO WHEELERS ECU		25%	1.50
8	SAY			2
9	1ECU=3 TWO WHEELERS			5

PROVIDED PARKING CALCULATION

NAME OF FLOOR	CAR PARKING	TWO WHEELERS
UPPER BASEMENT FLOOR	49	32
LOWER BASEMENT FLOOR	45	28
LOWER GROUND		41
GROUND FLOOR	17	21
TOTA PARKING	111	122

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ॰ वि॰ प्रा॰, अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा., अजमेर

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3303 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

SITE PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

N W E S

PROJECT:-
COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER | ARCHITECTS

SHEET NO. 02

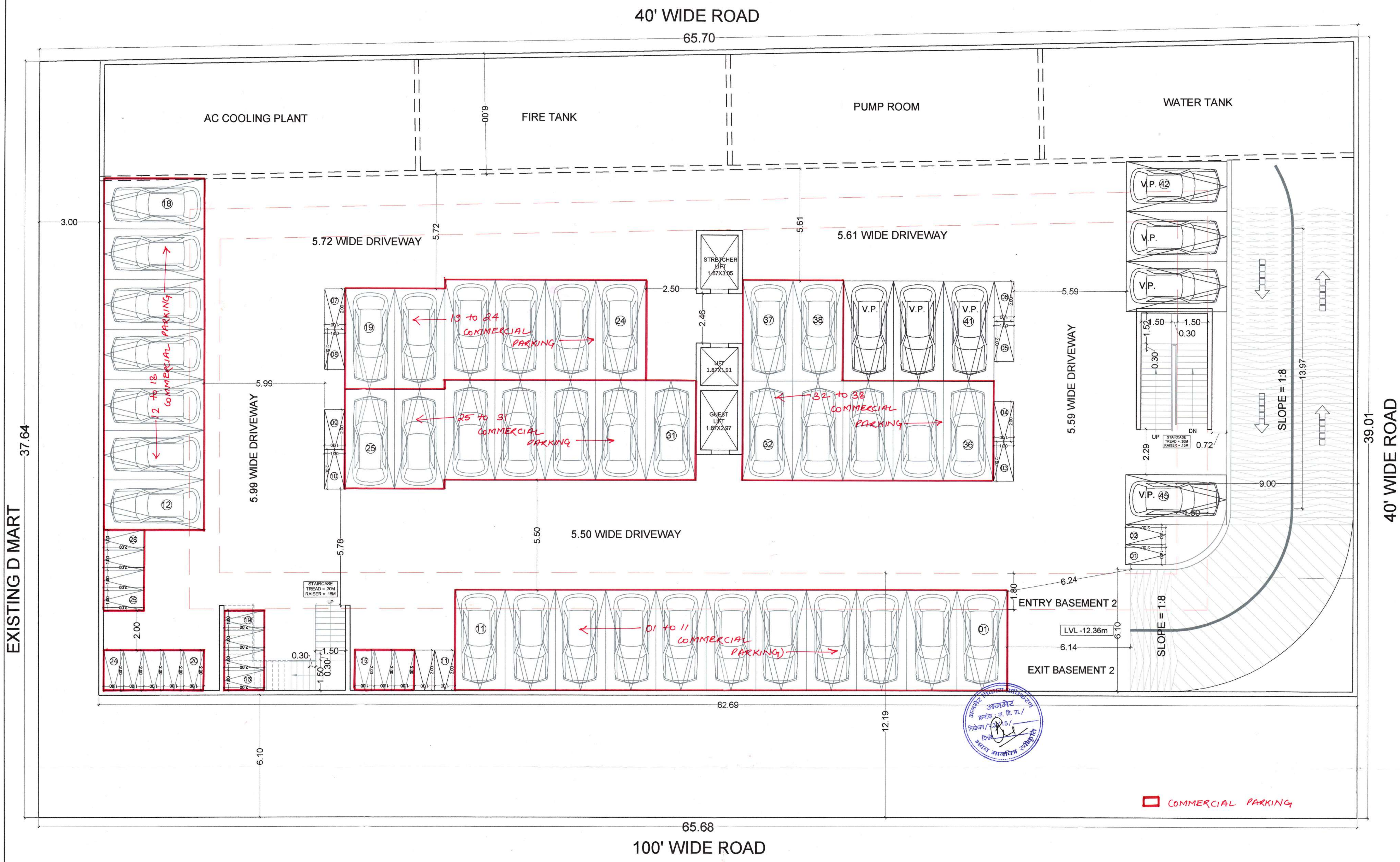

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3301-3313 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BASEMENT 2 FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-
COMMERCIA & RESIDANTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER | ARCHITECTS

सहायक नगर नियोजक अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना अ.वि.प्रा.,अजमेर

SHEET NO. 03

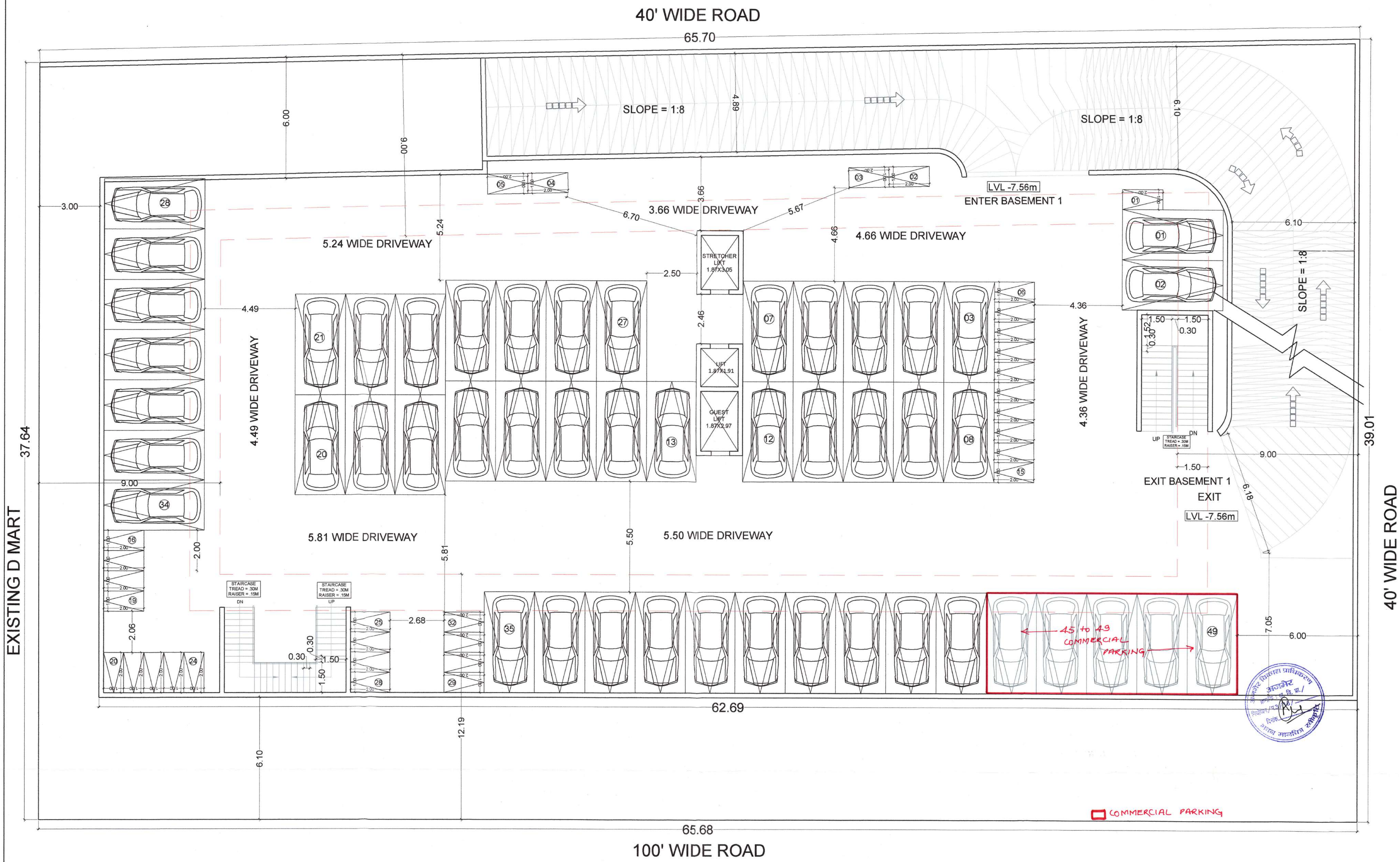

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3308 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BASEMENT 1 FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :
N
W E
S

PROJECT:-
COMMERCIA & RESIDANTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER | ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा.,अजमेर

SHEET NO. 04

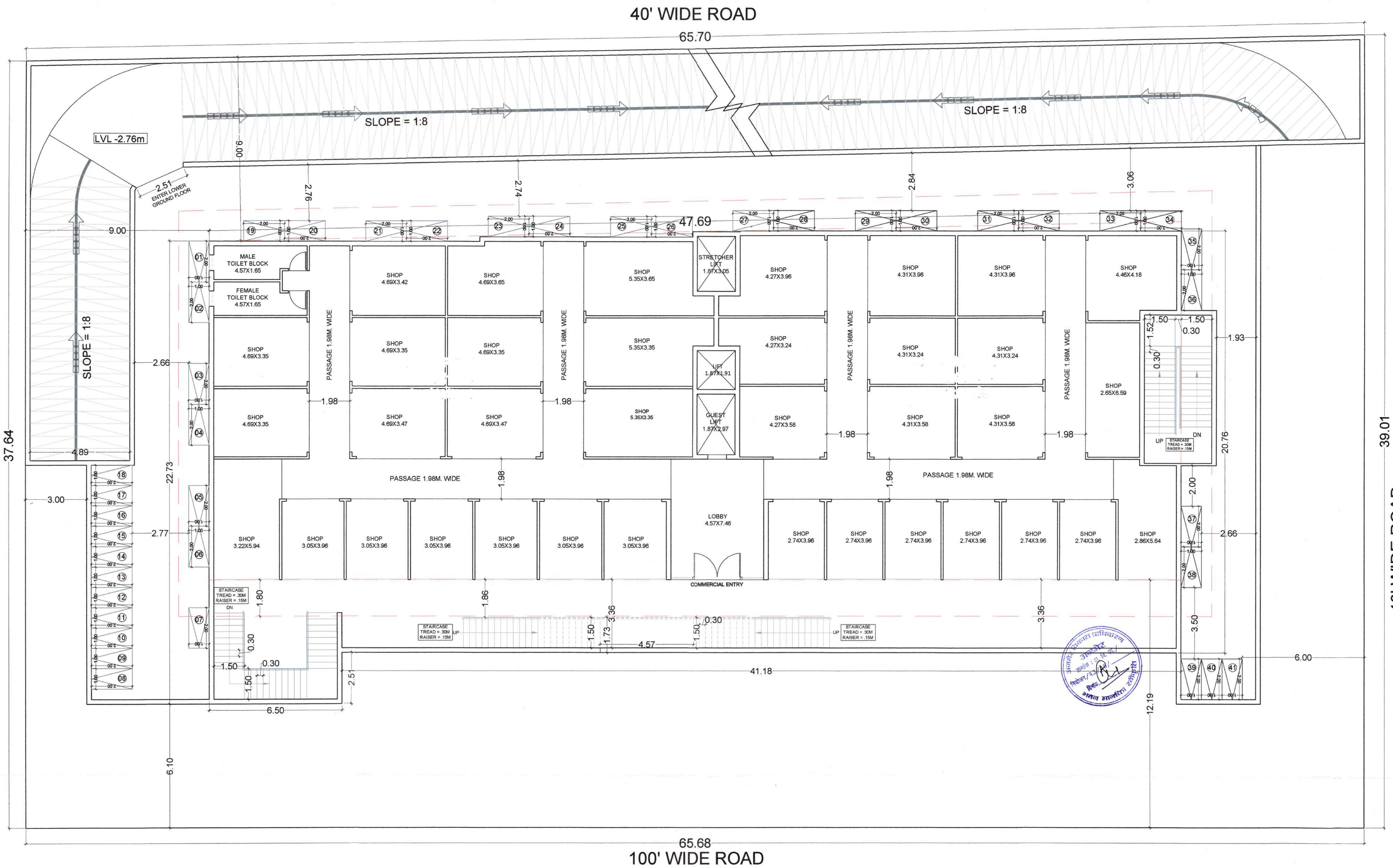

NOTE:- 01 to 27 - COMMERCIAL PARKING
28 to 41 - VISITOR'S PARKING

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3303 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

LOWER GROUND FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-
COMMERCIA & RESIDANTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा. अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 05

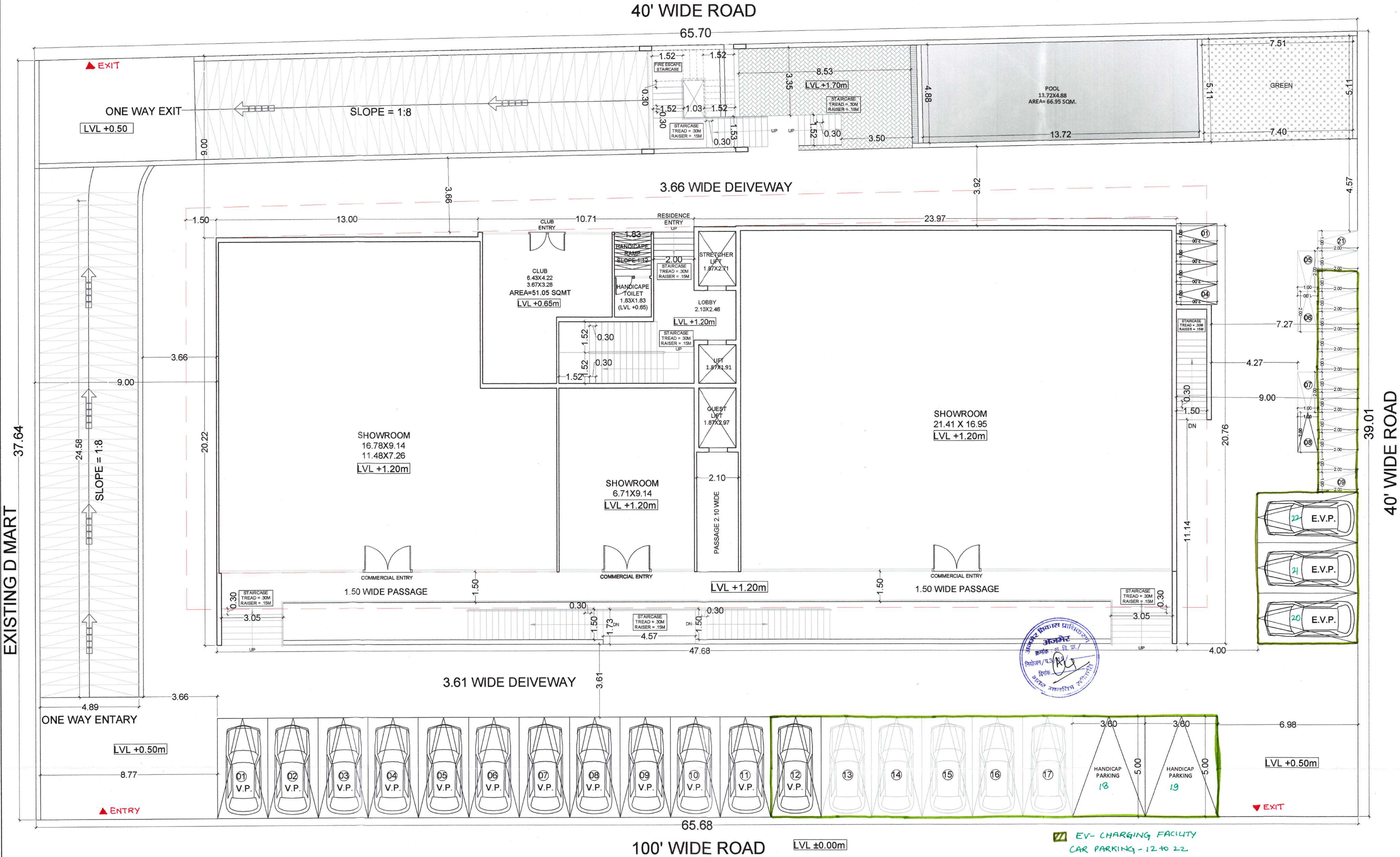

EV- CHARGING FACILITY
CAR PARKING - 12 to 22
BIKE PARKING - 09 to 19.

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3304 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

GROUND FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-
COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER | ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 06

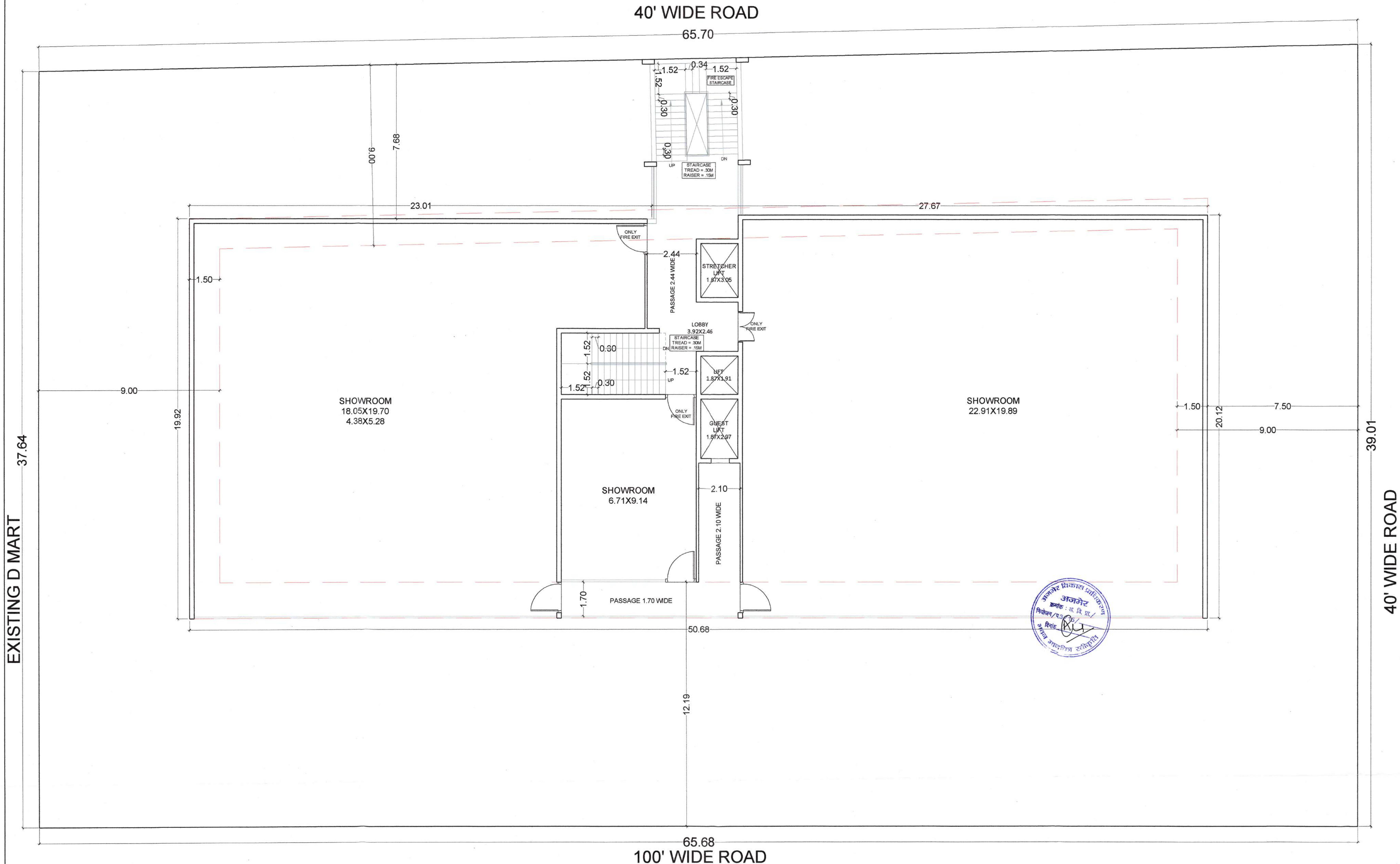

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में
लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक
अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3303 दिनांक 25/4/23
में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

FIRST FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

N
W E
S

PROJECT:-

RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 07

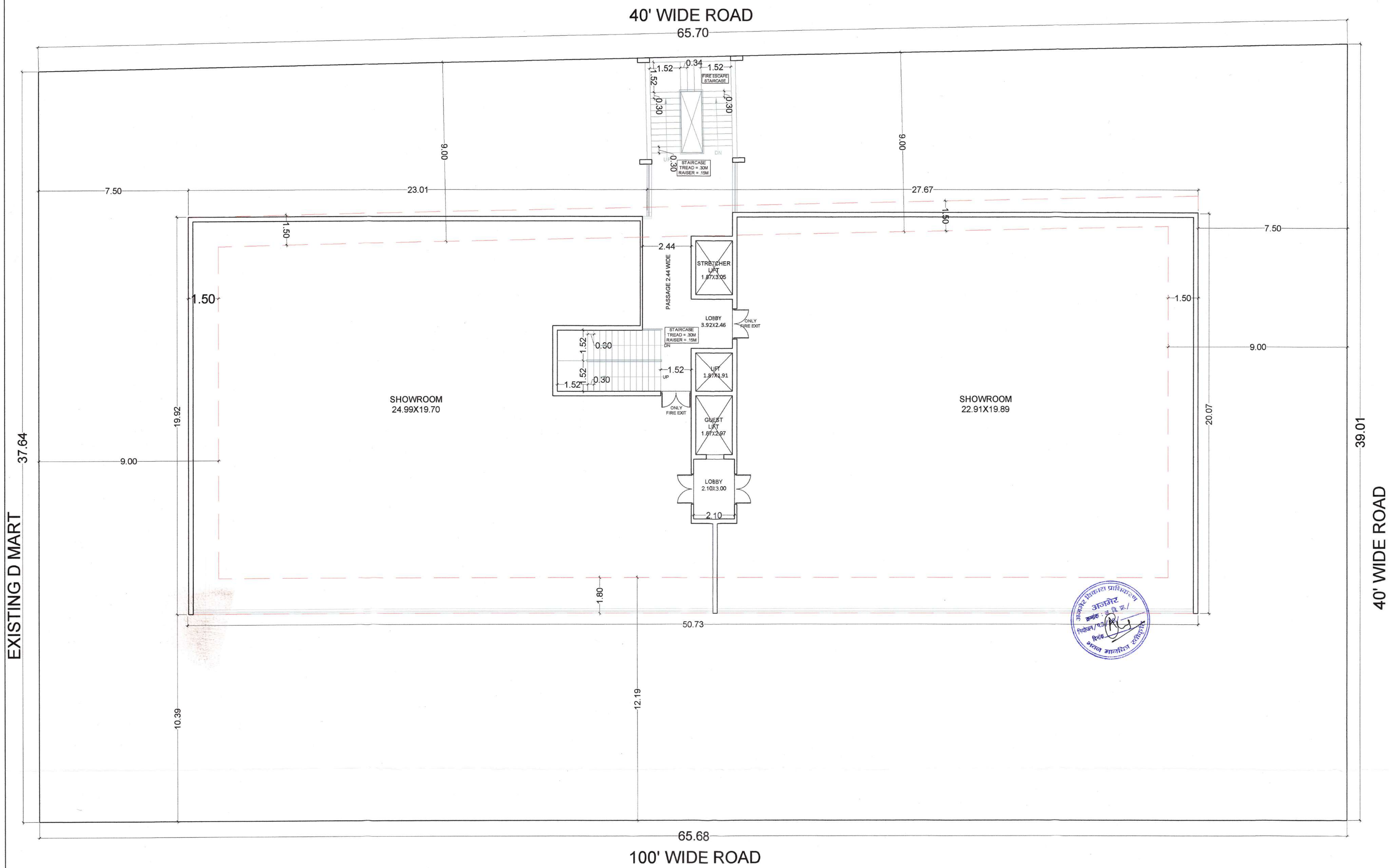

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3313 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

2ND FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

N
W E
S

PROJECT:-

RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा. अजमेर

निदेशक-आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 08

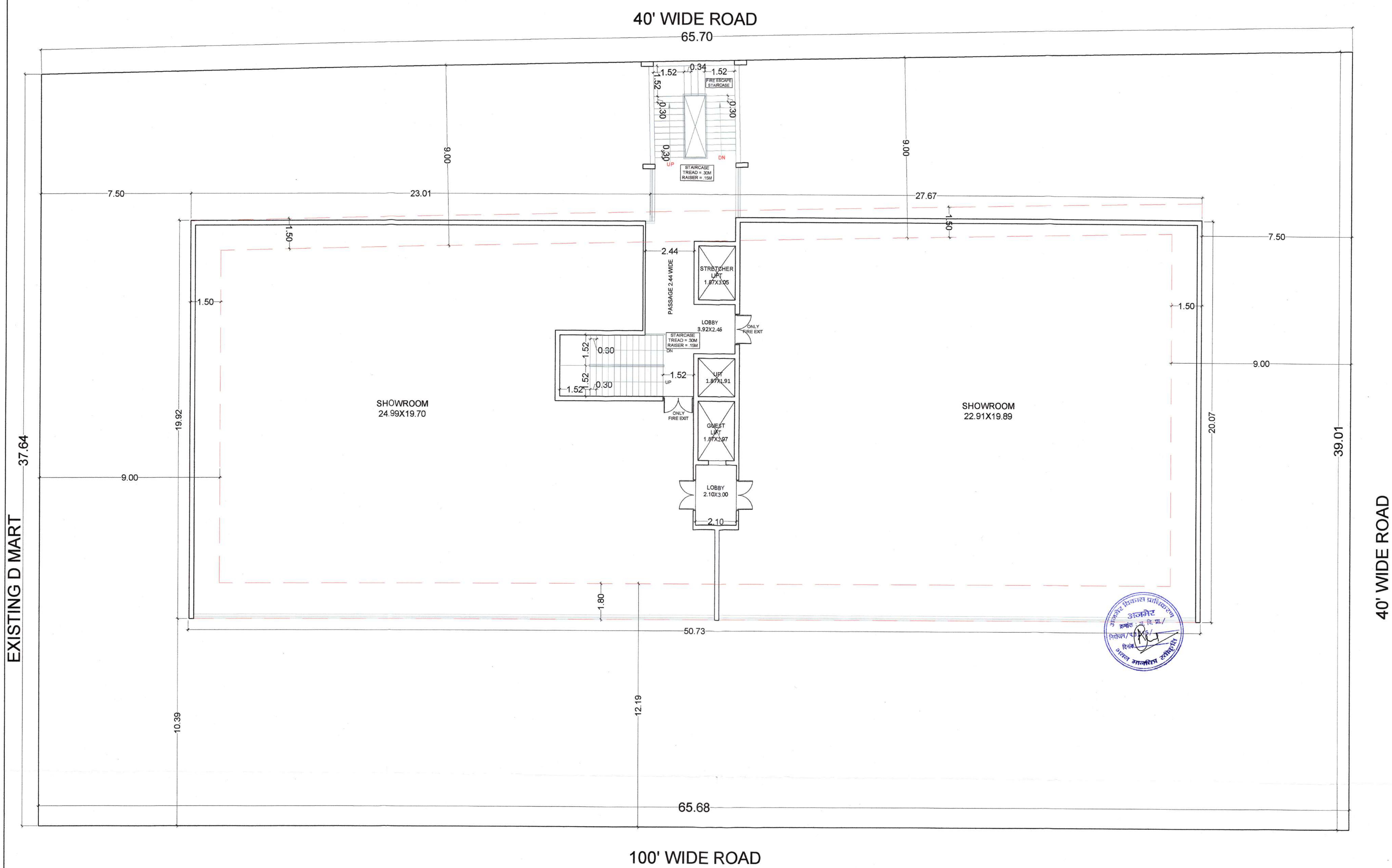

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3303 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

3RD FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH : N W E S

PROJECT:-

RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 09

40' WIDE ROAD

EXISTING D MART

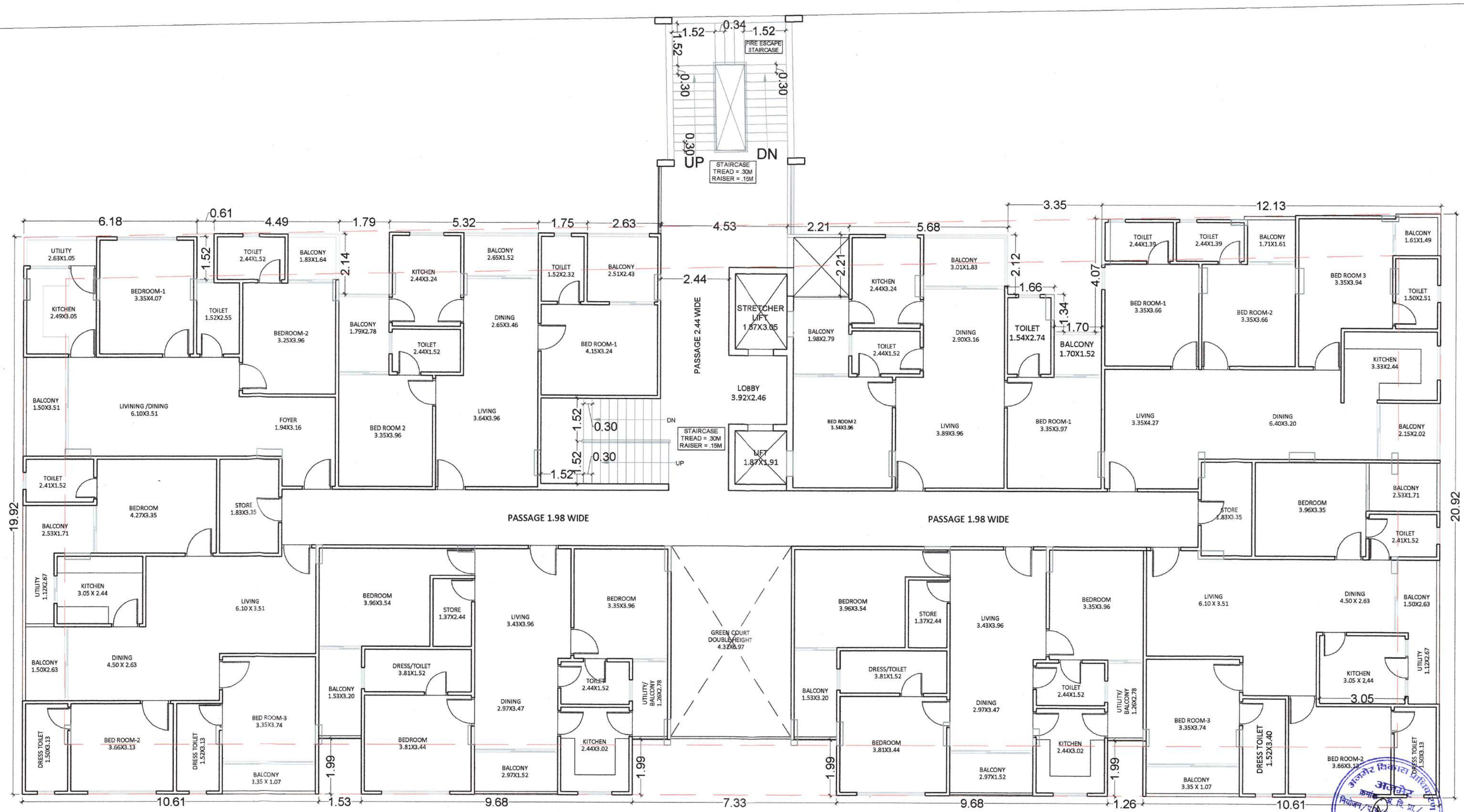

40' WIDE ROAD

100' WIDE ROAD

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3301-3303 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

TYPICAL FLOOR PLAN (4,6 & 8 TH FLOOR)

SCALE:- 1= 100

NORTH :

N W E S

PROJECT:-

RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005

CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414

email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

25/04/2023

सहायक नगर नियोजक
अ० वि० प्रा०, अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 10

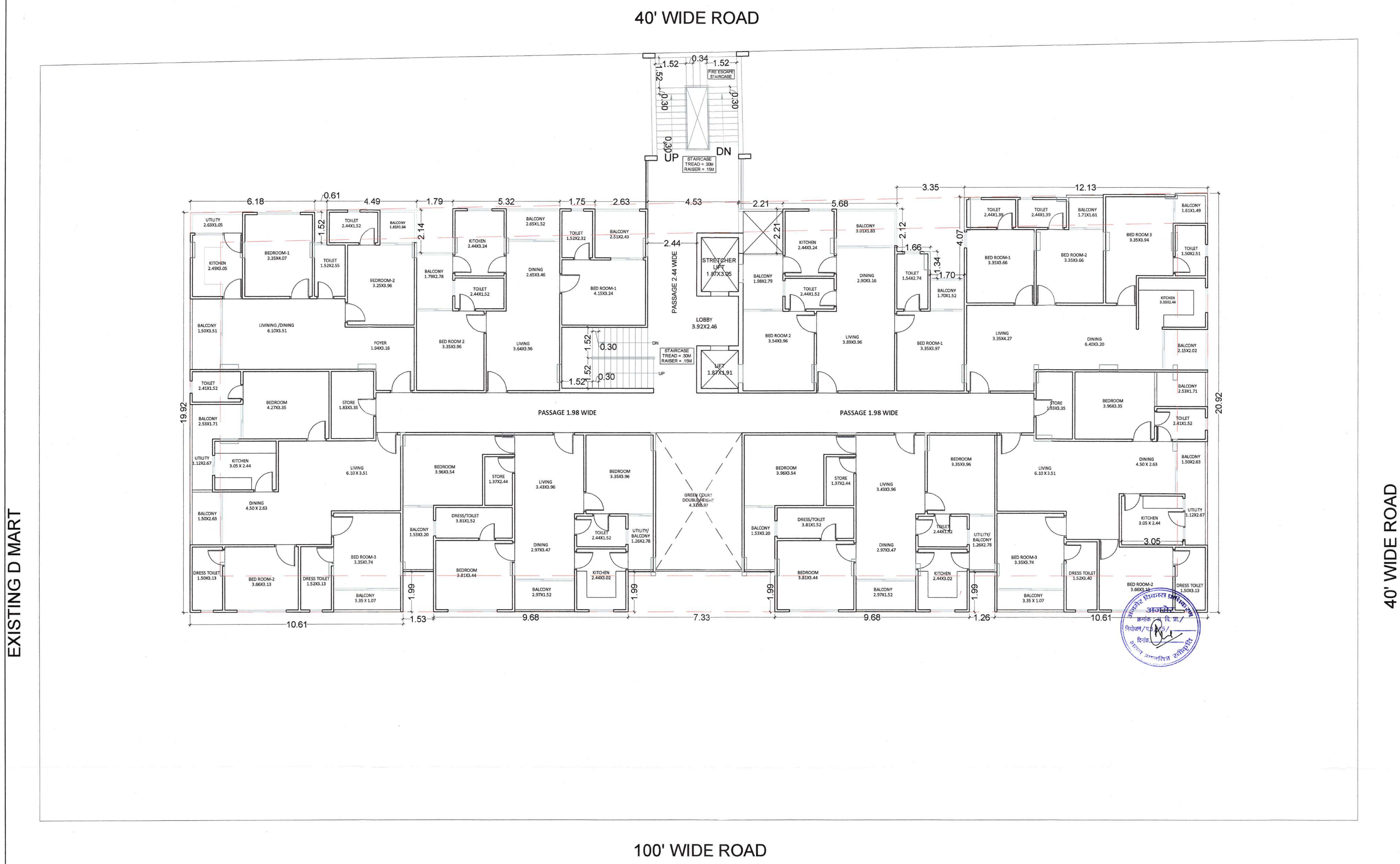

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3313 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

TYPICAL FLOOR PLAN (5,7,9 & 10TH FLOOR)

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 11

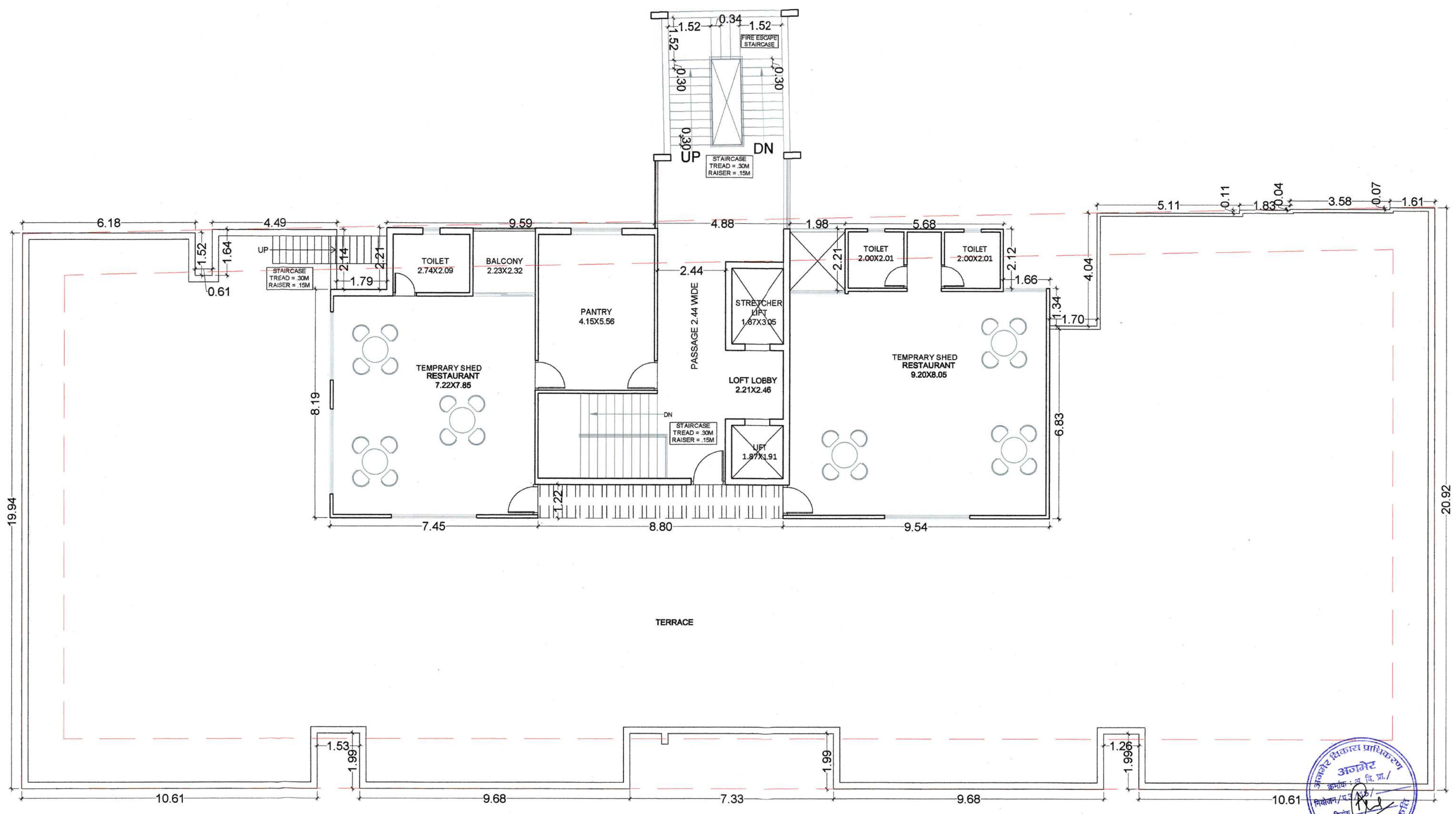

NOTE:- ROOF TOP RESTAURANT FOR THE RESIDENTS OF THIS BUILDING (ONLY).

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3301-3313 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

TERRACE FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-
RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER | ARCHITECTS

उपनगर नियोजक अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना अ.वि.प्रा., अजमेर

SHEET NO. 12

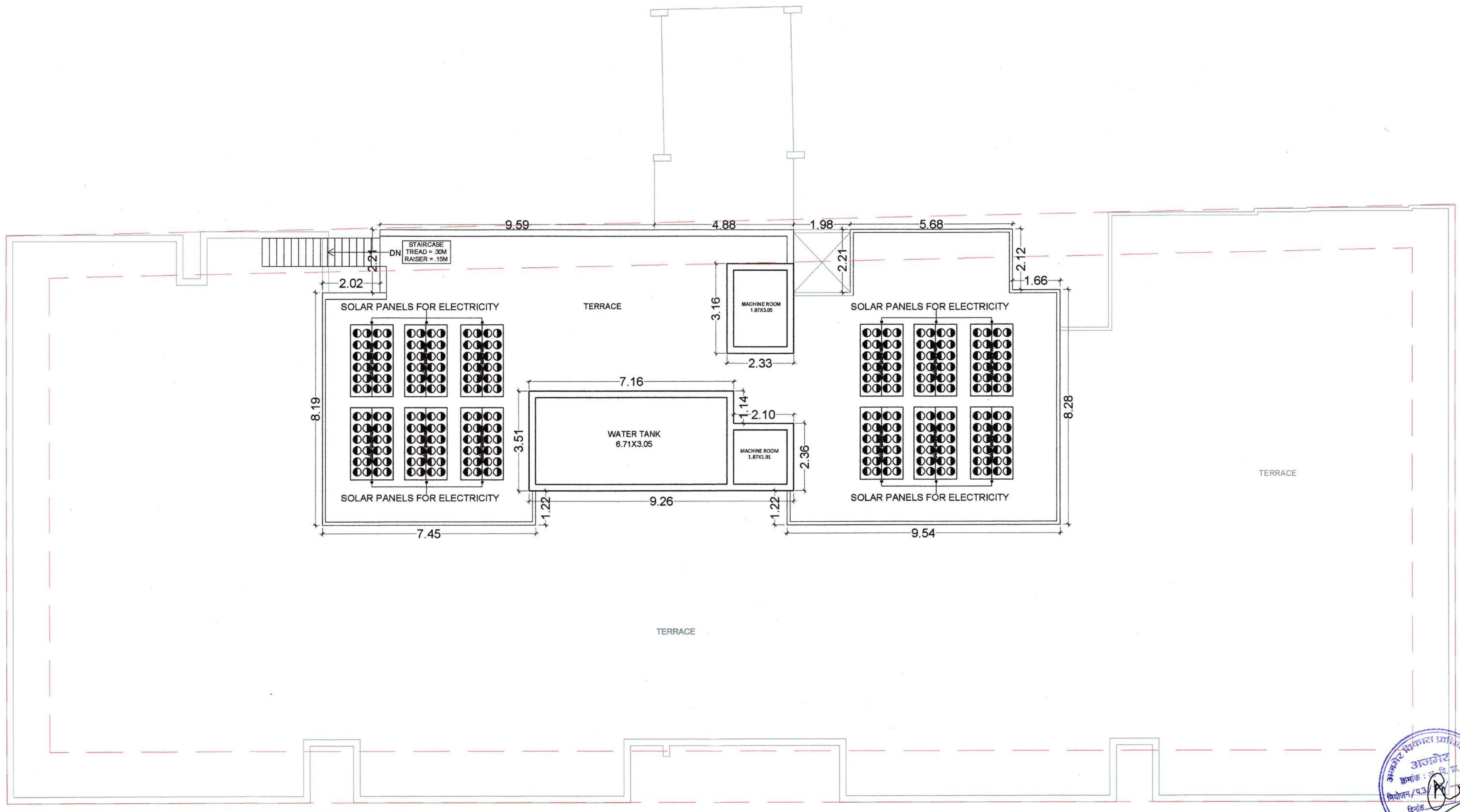

TERRACE FLOOR PLAN

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3313 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

TERRACE FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :
N
W E
S

PROJECT:-

RESIDANTIAL AND COMMERCIA-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER

ARCHITECTS

23/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा., अजमेर

SHEET NO. 13

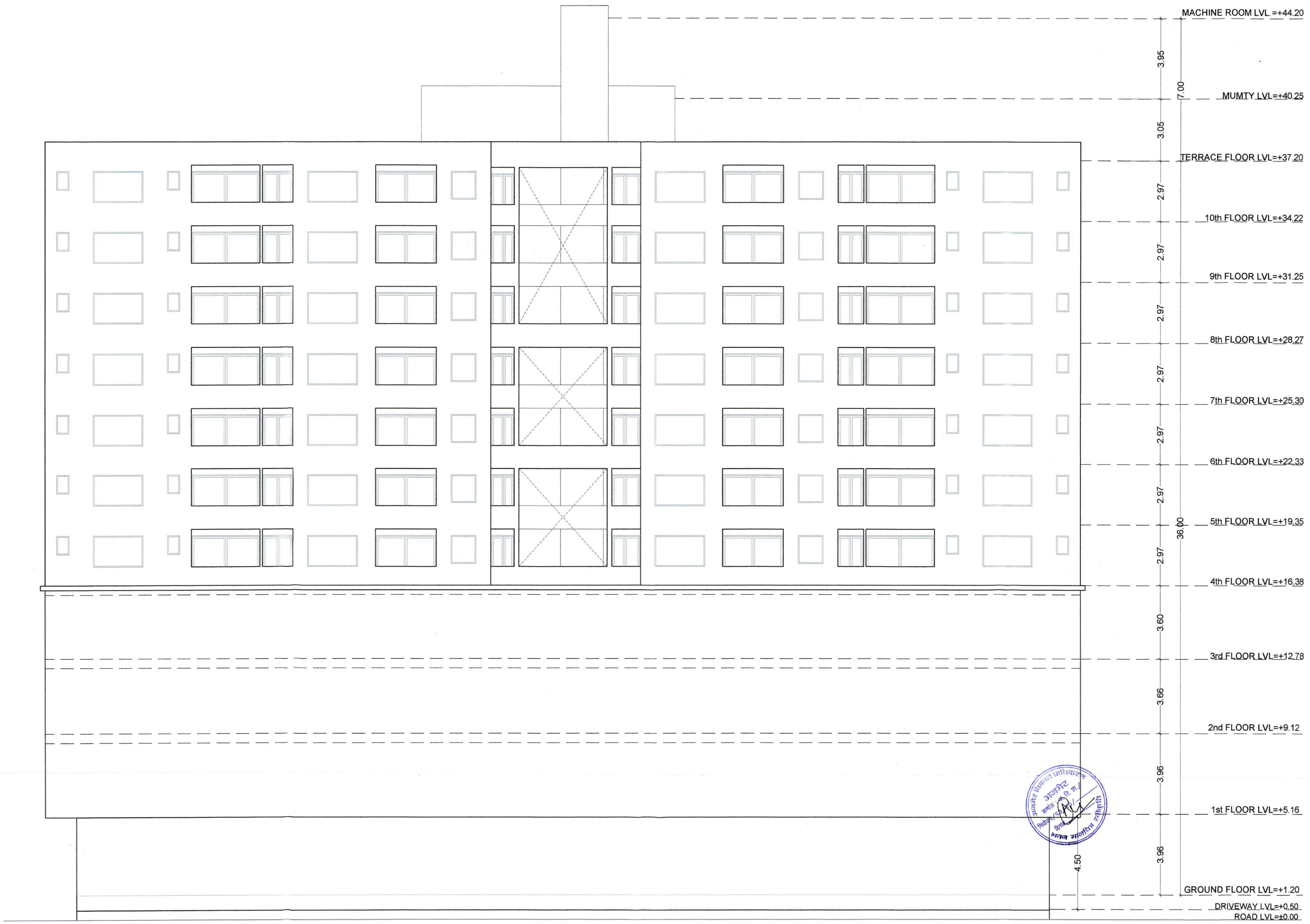

FRONT ELEVATION

NOTE: BUILDING HEIGHT IS PERMISSIBLE TILL 32 MTRS. AS PER BPAC DECISION DATED 16.03.2023 ~~DE~~ AGENDA NO. 2 ~~DATED~~ DECISION POINT (i).

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा.,अजमेर

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3304 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BUILDING ELEVATION

SCALE:- 1= 100

NORTH :

N
W
E
S

PROJECT:-

COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS

SHEET NO. 14

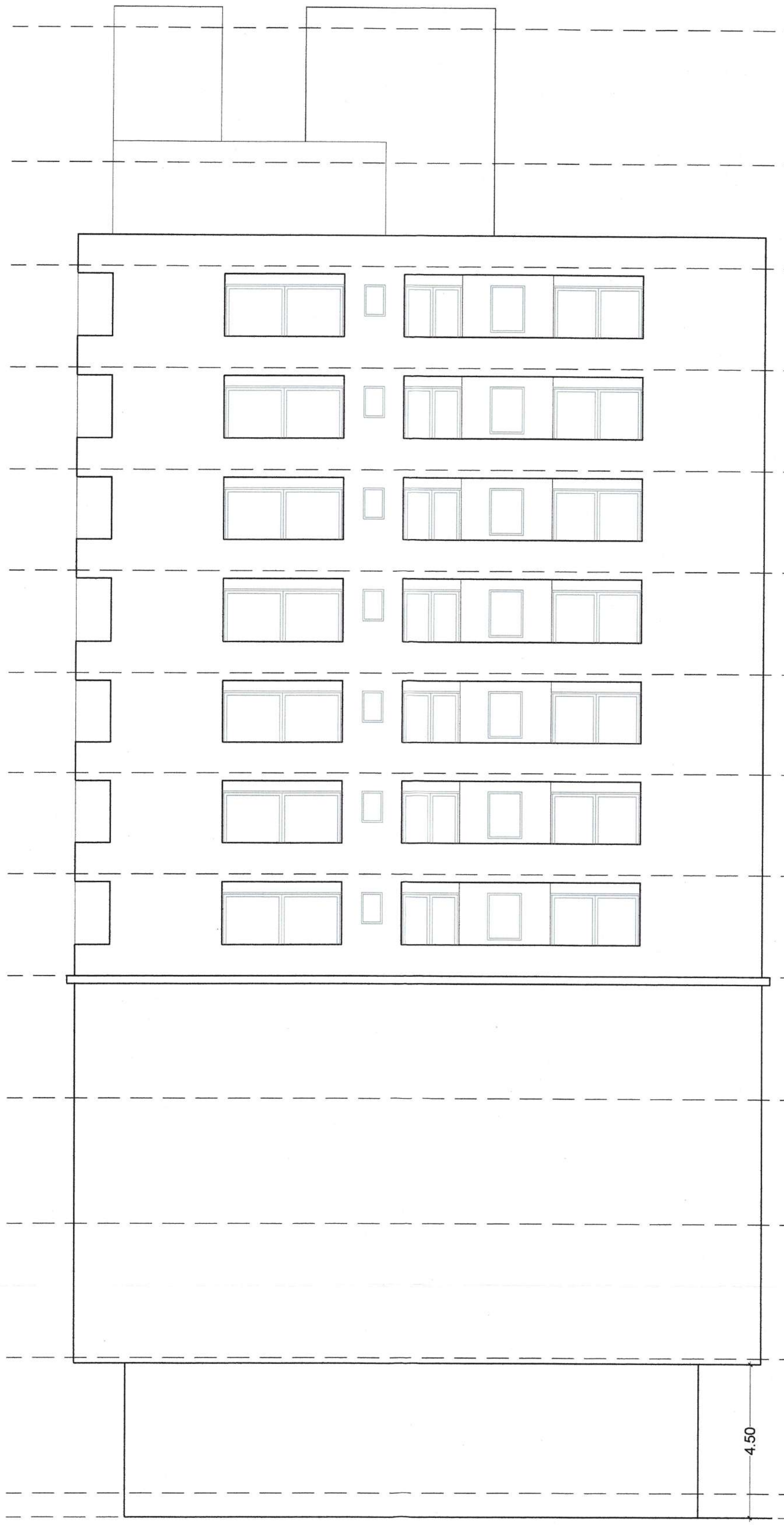

LEFT SIDE ELEVATION

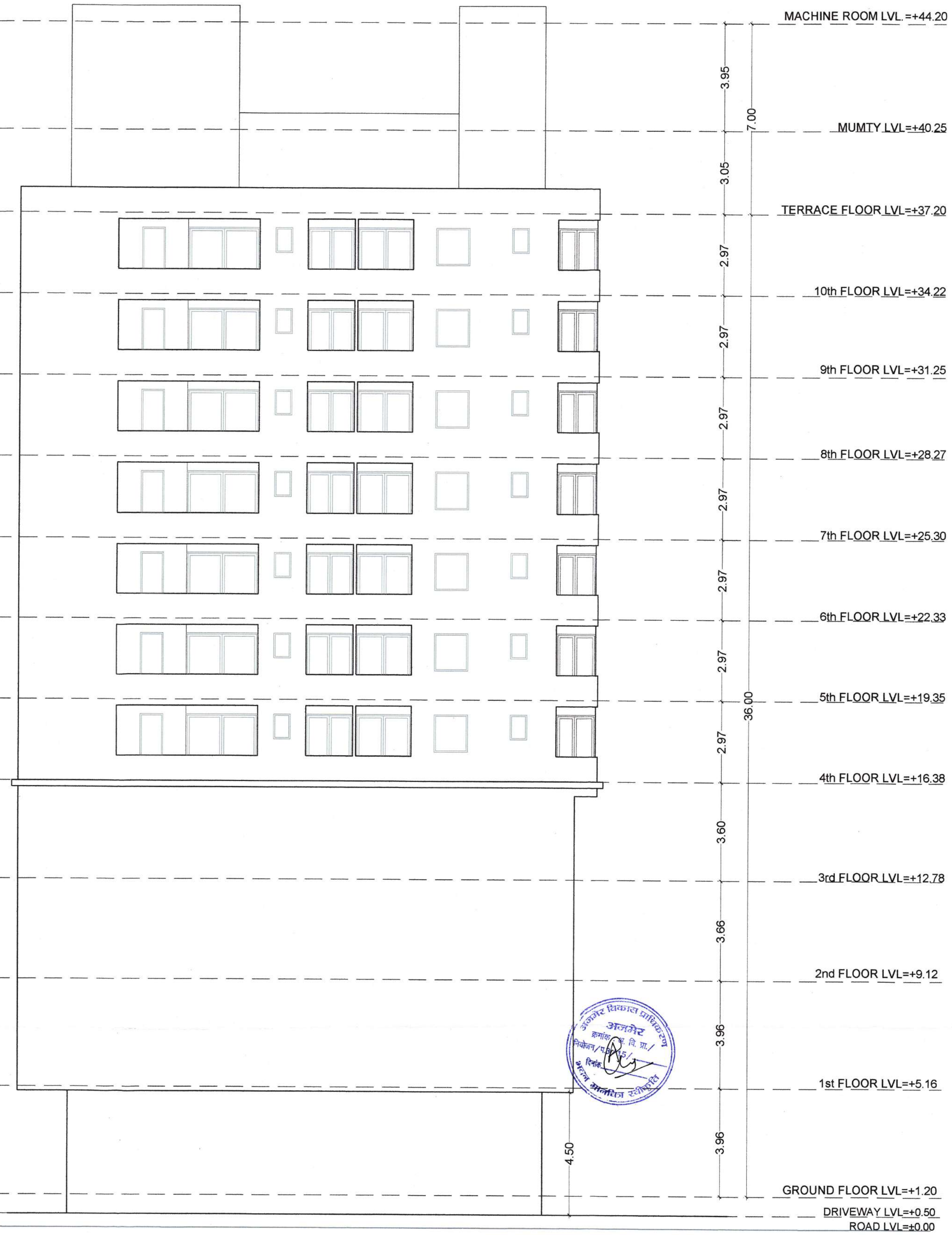

RIGHT SIDE ELEVATION

NOTE:- BUILDING HEIGHT IS PERMISSIBLE TILL 32 MTRS. AS PER BPAC DECISION DATED 16.03.2023 AGENDA NO. 2 DECISION POINT (i).

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3301-330 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BUILDING ELEVATION

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-
COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS

SHEET NO. 15

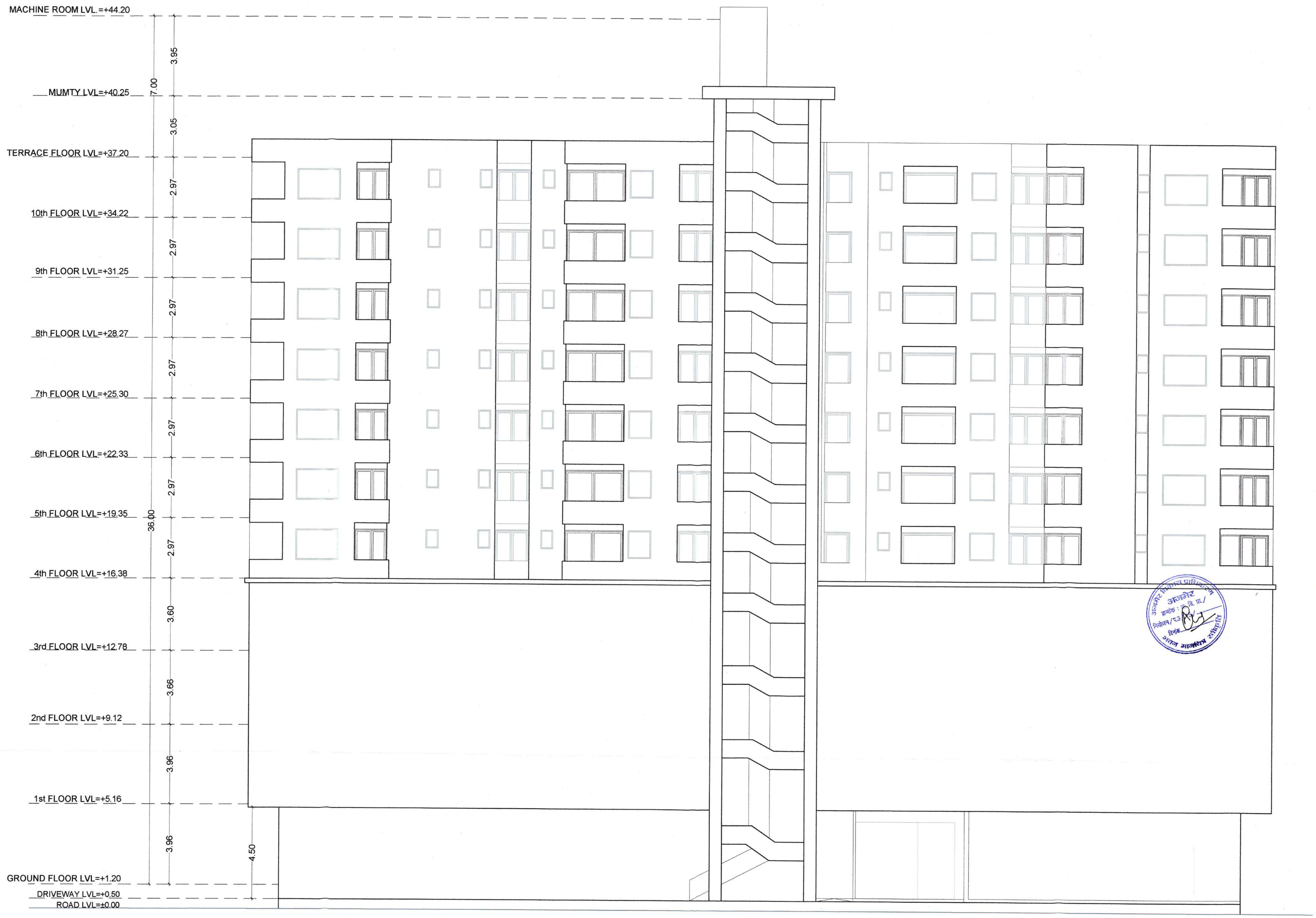

NOTE:- BUILDING HEIGHT IS PERMISSIBLE TILL 32 MTRS. AS PER BPAC DECISION DATED 16.03.2023 AGENDA NO. 2 DECISION POINT (1).

BACK ELEVATION

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3301-5303 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BUILDING ELEVATION

SCALE:- 1= 100

NORTH :
N
W E
S

PROJECT:-
COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS

25/04/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा., अजमेर

SHEET NO. 16

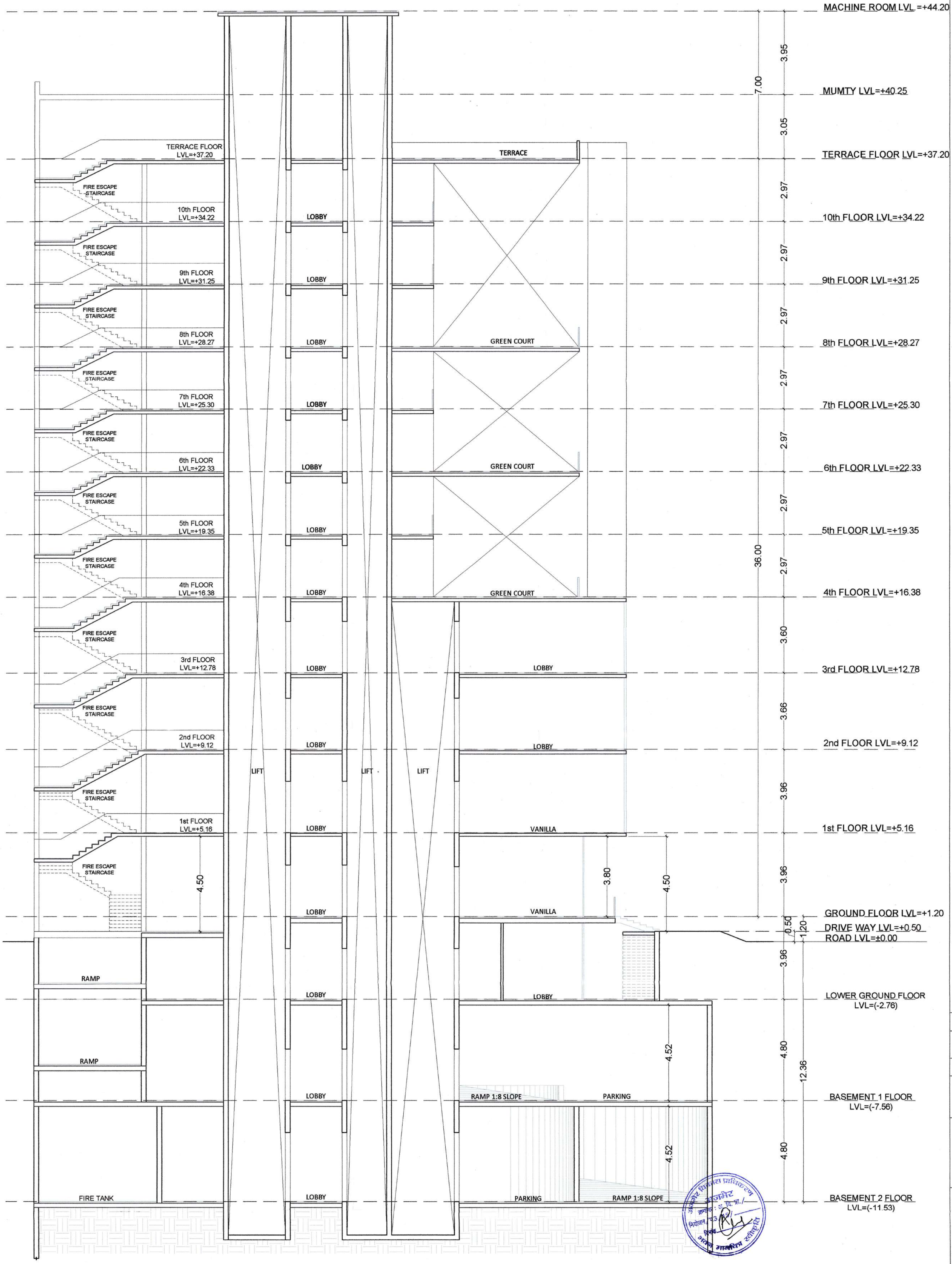

NOTE:- BUILDING HEIGHT IS PERMISSIBLE TILL 32 MTRS. AS PER BPAC DECISION DATED 16.03.2023 AGENDA NO.2 DECISION POINT (i).

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/23/3300-3303 दिनांक 25/9/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BUILDING SECTION

SCALE:- 1= 100

NORTH : N, E, S, W

PROJECT:-
COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-
GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER | ARCHITECTS

25/09/2023
सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

SHEET NO. 17

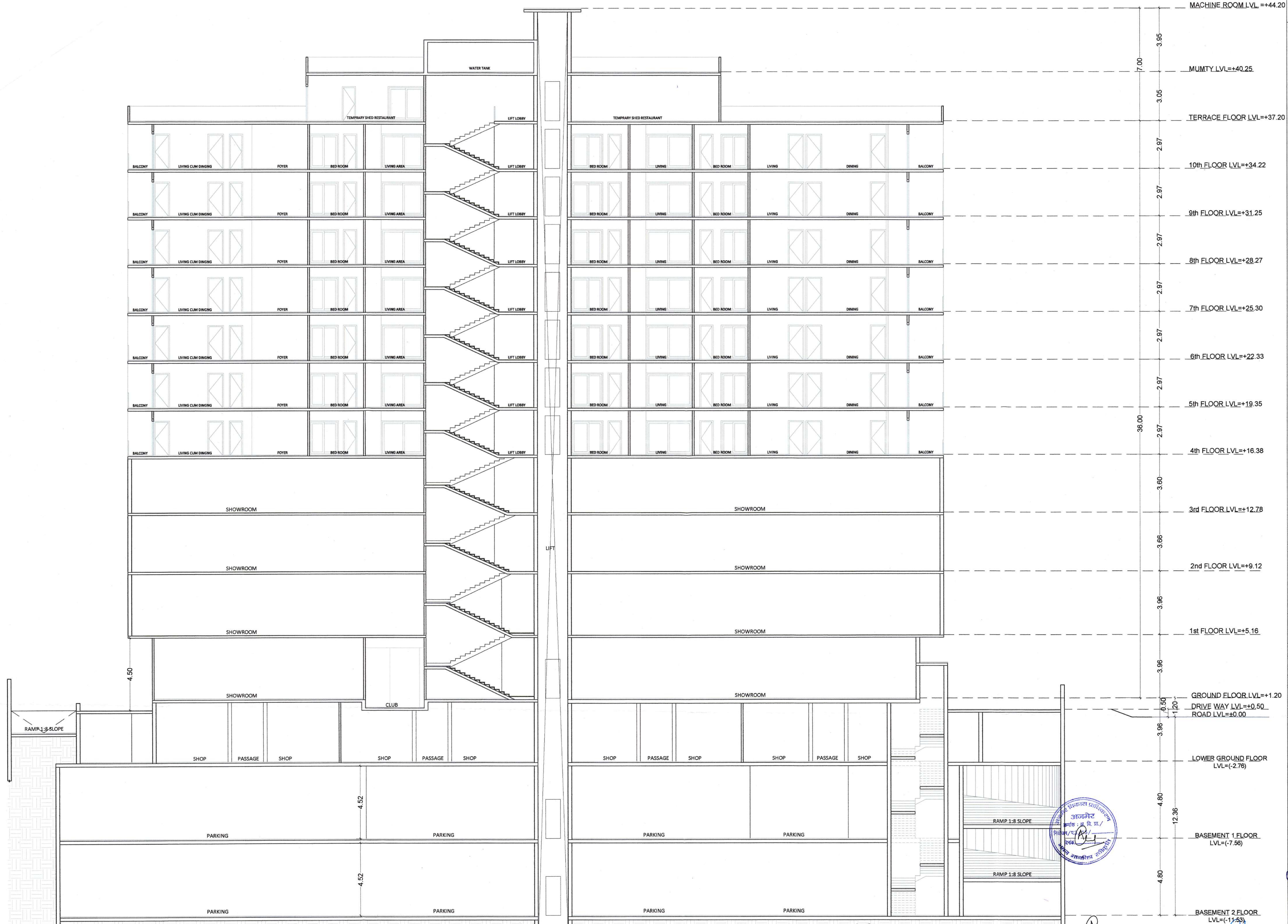

NOTE:- BUILDING HEIGHT IS PERMISSIBLE TILL 32 MTRS. AS PER BPAC DECISION DATED 16.03.2023 AGENDA NO. 2 DECISION POINT (i).

सहायक नगर नियोजक
अ. वि. प्रा., अजमेर

निदेशक आयोजना
अ.वि.प्रा. अजमेर

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 16/03/2023 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं अ.वि.प्रा. के पत्र क्रमांक अ.वि.प्रा./अ.मा.स./प-3/2023/3300-3303 दिनांक 25/4/23 में दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
नोट: उक्त स्वीकृति प्लान स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

SUBMISSION DRAWINGS

BUILDING ELEVATION

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

COMMERCIAL & RESIDENTIAL-3(B)AD, 'D' MART AT PANCHSHEEL NAGAR SCHEME 'A' BLOCK, AJMER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS